

निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण संख्या:-151/2023 प्रार्थनापत्र

दायर दिनांक:- 23/10/2023

निर्णय दिनांक:- 07/02/2025

अनवान

1. कन्हैयालाल पिता उदाराम जाति सालवी निवासी घाटी तहसील देवगढ़
जिला राजसमन्द

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार, देवगढ़ जिला राजसमन्द जरिये प्रतिनिधि राज्य सरकार


अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

:: निर्णय ::


प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का प्रस्तुत कर प्रार्थी की ओर से निवेदन किया गया कि प्रार्थी की आप न्यायालय के उपखण्ड में विद्यमान ग्राम किटो का बाडिया पटवार हल्का कामली तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में प्रार्थी की खातेदारी कब्जे की कृषि भूमियां स्थित है जिसमें प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि जिसके खाता संख्या 141 आराजी संख्या 101 कुल किता 01 कुल क्षेत्रफल 1.0800 हैक्टेयर स्थित है। यह भूमि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे की हैं इस भूमि से आगे अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि आराजी संख्या 97 व 99 किस्म बिलानाम स्थित है जिससे होकर प्रार्थी




सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

अपनी कृषि आराजीयात में प्रवेश कर सकता है व पगडण्डी रूपी रास्ते से अपनी भूमि में प्रार्थी आ जा रहा है तथा इसी आराजी से प्रार्थी कृषि उपकरण, हल, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर कल्टी ईत्यादि का आवागमन अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि में होकर किया जा सकता है। अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि के अलावा प्रार्थी को अपनी भूमि में आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी का उद्देश्य प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन कर उसका उपभोग उपयोग करना है। प्रार्थी की आराजी में आने जाने का अन्य कोई रास्ता आवागमन हेतु नहीं है। इस कारण प्रार्थी आप न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी की खातेदारी उपरोक्त भूमि के आगे की तरफ अप्रार्थी की आराजी संख्या 97 व 99 की भूमि स्थित हैं जो मुख्य सड़क से लगी हुई है। जिसके अप्रार्थी संख्या 01 मालिक है। उक्त आराजी संख्या 97 व 99 में से रास्ता चाहा गया है जिससे प्रार्थी अपनी आराजीयात में प्रवेश कर सकता है इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रार्थी एवं उसके परिवारजन वर्षों से इसी रास्ते से आवागमन कर रहे हैं एवं वाहन ट्रैक्टर ट्रौली, मशीनरी, मवेशी ला ले जा रहे हैं तथा लम्बे समय से खुले तौर पर निरन्तर निर्विघ्न अप्रार्थी संख्या 01 की जानकारी में प्रार्थी इसी रास्ते से आवागमन रहे हैं। अप्रार्थी संख्या 01 की उक्त वर्णित भूमि में से 30 फीट चौड़ा रास्ता चाहा गया है जिससे प्रार्थी अपने वाहन, मशीनरी, उपकरण ईत्यादि ला लेजा सकेंगे। प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन के अधिकार बाधित होकर प्रार्थी अपनी भूमि आराजी संख्या 101 में आने जाने से वाहन ट्रैक्टर ट्रौली, मशीनरी, मवेशी आदि लाने ले जाने से वंचित हो जायेंगे। इस आराजी संख्या 97 व 99 के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थी की भूमि में जाने का नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 की आराजी संख्या 97 व 99 में से प्रार्थी की आराजी संख्या 101 में आवागमन 30 फीट चौड़ा को धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रास्ते के रूप में कायम किया जाना आवश्यक है जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया




सहायक कलेक्टर
देवगढ, जिला-राजसमन्ड


जा रहा है। इस रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में कायम करने के लिये जो भी मुआवजा राशि न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाती है प्रार्थी अदा करने को तैयार है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी की भूमि आराजी संख्या 97 व 99 में से आवागमन का रास्ता जिसका विवरण प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 में दिया गया है उस 30 फीट चौड़े रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे एवं रास्ते की भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज कर प्रार्थी का आवागमन सुनिश्चित किया जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई अप्रार्थी को जरिये समन्न तलब किया गया अप्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत किया कि ग्राम किटो का बाडिया पटवार हल्का कामली तहसील देवगढ़ में स्थित आराजी संख्या 101 कुल रकबा 1.08 हैक्टेयर भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थी की आराजी संख्या 97, 99 में से 30 फीट चौड़ा रास्ता चाहा गया है। बिलानाम आराजी संख्या 99 किस्म गैर मुमकिन नाला होने से रास्ता दिया जाना संभव नहीं है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थी को अपनी भूमि पर जाने हेतु एवं भूमि पर कृषि कार्य करने हेतु ट्रैक्टर, ट्रौली व अन्य मशीनरी ले जाने के लिए लिए रास्ते की नितान्त आवश्यकता है एवं प्रार्थीगण को अपनी भूमि पर आने जाने के लिए इस भूमि के अलावा अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है एवं 30 फीट रास्ता दिलाये जाने हेतु निवेदन किया। दौराने बहस पैरोकार सरकार ने अपनी जांच रिपोर्ट की ताईद की।


राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-ए में प्रतिपादित है कि:- [251A. Laying of underground pipeline or opening a new




सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्ध

way through another khatedar's holding or enlarging the existing way. - (1) Where - (a) a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or (b) a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings of and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the Sub-Divisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that (i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and (ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access proved may, be order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along 'the line demarcated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way. not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, through the shortest or nearest route, or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet, on payment of such compensation as may be




सहायक कलेक्टर
देवास, जिला-राजसमन्ध


determined by the Sub-Divisional Officer, in the prescribed manner, to the tenant who holds the land through which the right to lay pipeline or have a new way or enlarge or widen an existing way is granted. (2) Where a right to have a new way or enlarge or widen an existing way is granted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land comprising such way shall be deemed to have been extinguished and the land shall be recorded as rasta in the revenue records. (3) The persons permitted to avail any of the facilities referred to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right in the holding through which such facility is granted.]

प्रकरण में तहसीलदार, देवगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन करने पर जाहिर आया कि बिलानाम आराजी संख्या 99 किस्म गैर मुमकिन नाला होने से रास्ता दिया जाना संभव नहीं है। उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी से संबंधित है।

1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, द्वारा निर्णित जनहित रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02/08/2004 में दिये गये निर्देशों का संगत उद्धरण निम्न प्रकार है।

All land shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15.8.1947 should be declared as




सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्व

Government land. Any conversions made after 15.8.1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly.


----In the Government owned lakes and other water bodies, the Khatedari rights of private persons in their submergence area should be brought under the ownership of the Government. "

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16(2) में निहित प्रावधानों के विपरित होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना विधिसम्मत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 "ए" राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 07/02/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।




सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द